फल-सब्जी उत्पादक सहयोग समिति लि० की उप-विधियाँ

1. **नाम और पता-** यह समिति जिसकी रजिस्ट्री झारखण्ड को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (सन् 1935 ई० का ऐक्ट 6) के अन्तर्गत हुई है .....फल -सब्जी उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड कहलायगी और इसका रजिस्टर्ड पता ग्राम..... पी०ओ०.....थाना....., सबडिवीजन .....जिला.....होगा।

   अगर इसके रजिस्टर्ड पता में किसी प्रकार का परिवर्त्तन किया जायेगा तो इसकी सूचना 15 दिनों भीतर निबन्धक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड को-आपॅरेटिव फडेरेशन और अर्थ प्रबन्ध बैंक को दे दी जायेगी।

2. **उद्देश्यः-** इस समिति का उद्देश्य सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक अवस्था की उन्नति करना होगा। विशेषकर-

   (1) अपने सदस्यों में स्वावलम्बन, पारस्परिक सहायता, मितव्ययिता तथा सहयोग के भावना पैदा करना,

   (2) सदस्यों द्वारा उत्पादित सब्जी एवं फल की फसल को यथासंभव अधिक-से-अधिक लाभ पर बेचने का प्रबन्ध करना;

   (3) सदस्य के अभिकर्त्ता (एजेन्ट) की तरह काम करना और सब्जी तथा फल उत्पादक संघ यदि हो, से ठीका (कण्ट्रैक्ट) लेकर सब्जी एवं फल की उपज को समय-समय पर निर्धारित दर पर पहुंचाने का प्रबनध करना;

   (4) सदस्यों की सब्जी एवं फल की फसल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का प्रबनध;

   (5) अच्छे बीज, खाद और खेती करने के उन्नत औजार तथा खेती की दूसरी आवश्यक चीजों को खरीदने के लिए सदस्यों के ऐजन्ट का काम करना;

   (6) सदस्यों द्वारा बेची गई सब्जी एवं फल के मूल्य को संघ से प्राप्त करना और सदस्यों में शीघ्र बाँटने का उचित प्रबंध करना;

   (7) कृषि विभाग द्वारा बताये हुए सब्जी एवं फल की खेती करने के आधुनिक तरीका का सदस्यों में प्रचार करना;

   (8) सदस्यों को खेती करने, बीज, औजार आदि खरीदने के लिये ऋण तथा

उत्पादित फसल पर अग्रिम देने का प्रबन्ध करना;

(9) ऐसे काम करना जिसमें उपर्युक्त उद्देश्यों की या किसी अंश की पूर्ति हो।

3. **कार्य-क्षेत्रः-** इस समिति का कार्य क्षेत्र.....गाँव में सीमित होगा।

4. इस समिति का सम्बन्ध केन्द्रीय को-ऑपरेटिव बैंक से रहेगा और यह अपनी वसूल की हुई हिस्से की पूंजी प्रतिशत तक की रकम से केन्द्रीय को-ऑपरेटिव बैंक के हिस्से को खरीदेगी।

5. **सदस्यता-** प्रत्येक व्यक्ति को जिसका चाल-चलन अच्छा हो, जिसका दिमाग ठीक हो, जो 18 वर्ष से अधिक उम्रवाला और समिति के कार्य क्षेत्र में रहता हो और सब्जी या फल की खेती करता हो अथवा सब्जी या फल् का खेती करना चाहता हो, सदस्य बनाया जा सकता है।

6. सदस्यों का प्रवेश- नीचे लिखे व्यक्ति समिति के सदस्य होंगेः-

(क) योग्य व्यक्ति जिन्होंने नाम दर्ज कराने के लिये दरखास्त पर हस्ताक्षर किया है:

(ख) वे व्यक्ति जो प्रबंधकरिणी कमिटी द्वारा बाद में सदस्य के रूप में चुने जायेंगे।

प्रवेश चाहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति प्रबन्धकारिणी कमिटी के पास छपे हुए फारम पर दरखास्त देंगे जो उचित जाँच-पड़ताल के बाद उनकी दरखास्त को मंजूर अथवा नामंजूर करेगी। नामंजूर की अवस्था में ऐसे व्यक्ति को आम-सभा के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा

7. सदस्य होने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को छपे हुए फारम में लिखे इस आशय के एकरार-नामें पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह समिति के वर्त्तमान उप-नियमों का तथा ऐसे नियमों की पाबन्दी रखेगा जिसे प्रबन्धकारिणी कमिटी आम-सभा की अनुमति से बनाएगी। वह व्यक्ति जो पहले ही से इसलिए सदस्य है कि उसने रजिस्ट्री की दरखास्त पर हस्ताक्षर किया है, उसकी भी इस प्रकार के एकरानामें पर हस्ताक्षर करना होगा। अगर वह समिति की रजिस्ट्री होने की तिथि से 1 महीना के भीतर ऐसे एकरारनामें पर हस्ताक्षर करने से इनकार करे तो उसे 50 रुपया तक जुर्माना किया जा सकेगा या सदस्यता से निकाला जा सकेगा।

8. प्रत्येक सदस्य के लिये यह जरूरी होगा कि जब कभी जरूरत हो अपनी पूंजी और जिम्मेवारी पूर्ण एवं सही बयान समिति को दे। यदि ऐसा बयान नहीं दे या कर्ज को छिपावे या इस तरह छिपाकर समिति से कर्ज लेने के लिये दोषी पाया जावे तो उस पर 50 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है या सदस्यता से निकाल दिया जा सकता है।

9. **सदस्यता का अधिकार :-** प्रत्येक सदस्य को 1 रुपया प्रवेश शुल्क देना होगा। किसी भी सदस्य की नियम 7 के अनुसार एकरानामे पर हस्ताक्षर किये, प्रवेश शुल्क दिये, कम-से-कम एक हिस्सा खरीदे और हिस्से का पहली अंश दिये बिना सदस्यता का अधिकार नहीं प्राप्त होगा।

10. **नामजद कराना :-** समिति का कोई भी सदस्य अपने हाथ से लिखकर किसी ऐसे आदमी को नामजद (समिति के कर्मचारी या अफसर को छोड़कर) कर सकता है जिसे उसके मरने की हालत में समिति से पावना (इन्टरेस्ट्स) दिया जा सके।

11. **सदस्यता से हटाना-** कोई भी सदस्य जिसके जिम्मे समिति का कोई कर्ज न हों और जो एक साल तक सदस्य रह चुका हो प्रबन्धकारिणी कमिटी को एक महीने की सूचना देकर सदस्यता से हट सकता है, परन्तु इस तरह अलग होने से वह उन जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकता है जिसे उसने एकरारनामों एवं वादाओं (अण्डरटेकिंग) में कबूल किया हो।

12. **सदस्यता का निष्कासन -**

(1) प्रबन्धकारिणी कमिटी खुली जांच-पड़ताल के बाद किसी सदस्य को नीचे लिखे कारणों से सस्पेंड कर सकती है या हटा सकती है :-

(क) समिति के उप-नियमों या नियमों का विशेष रूप से उल्लघंन करने पर,

(ख) उचित सूचना पाने पर भी समिति का ऋण न देने पर;

(ग) किसी ऐसे व्यवहार पर जिससे समिति को आर्थिक हालत कमजोर हो सकती है या इसकी बदनामी हो सकती है।

(2) प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा हटाये गये सदस्य को हटाये जाने की आज्ञा प्राप्त होने की तारीख से तीन-महीने के अन्दर तक आम-सभा में अपील करने का अधिकार होगा। अपील आगमी आम-सभा में फैसला के लिए सभापति के द्वारा रखी जायेगी।

13. **सदस्यता की समाप्ति -** नीचे लिखे कारणों से सदस्यता की समाप्ति होगी;-

(1) कम-से-कम 1 हिस्सा भी नहीं रखने पर, या

(2) समिति के कार्य-क्षेत्र से अपने घर-वार को हटा लेने पर और सदस्यता की योग्यता को खो देने पर, या

(3) नियम 11 की धाराओं के अनुसार प्रबन्धकारिणी कमिटी को 1 महीने की सूचना देकर हट जाने पर, या

(4) नियम 12 के अनुसार हटाये जाये पर, या

(5) मर जाने पर, या

(6) किसी योग्य न्यायालय द्वारा दिवालिया अथवा पागल करार कर दिये जाने पर।

14. **कोष :-** समिति का कोष निम्नलिखित रूप से इकट्ठा किया जा सकता है:-

(क) हिस्सा-पूँजी;

(ख) अर्थ-प्रबन्धक बैंक और रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज, झारखंड के द्वारा दी गई शर्तों के अधीन कर्ज और जमा लेकर;

(ग) सरकार और दूसरे जरिये से प्राप्त आर्थिक सहायता, अनुदान या दान से;

(घ) सुरक्षित कोष एवं अन्य कोष; तथा

(ड़) सदस्यों से अपनी इच्छा से नगद, सामान या श्रम के रूप मे मिले हुए विशेष अनुदान से ।

15. **कर्ज लेने की सीमा :-** कर्ज एवं जमा पर समिति की पूर्ण बाह्य देन उसकी वसूल की हुई हिस्सा-पूंजी एवं संरक्षित कोष (रिजर्व फंड) के दस गुने से अधिक नहीं होगी। किन्तु यह सीमा निबन्धक, सहयोग समितियाँ की अनुमति से बढाई जा सकती है।

16. **कोष की अभिरक्षा :-** निबन्धक, सहयोग समितियाँ द्वारा प्रसारित आदेश के अन्तर्गत प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन आम-सभा में चुने गये कोषाध्यक्ष के पास समिति का कोष रहेगा।

17. **कोष को काम में लगाना :-** कारबार में नहीं लगाये गये समिति के कोष को निम्नलिखित रूप में कारबार में लगाया जा सकता है या जमा किया जा सकता है:-

(क) पोस्टल सेविग्स बैंक में या केन्द्रीय को-ऑपरेटिव बैंक में;

(ख) इन्डियन ट्रस्ट ऐक्ट की धारा 20 में विशेष रुप से वर्णित किसी भी जमानतों में;

(ग) निबन्धक, सहयोग समितियाँ की पूर्व स्वीकृति से किसी भी को-ऑपरेटिव बैंक या समिति के हिस्सें में, या

(घ) निबन्धक, सहयोग समितियाँ की आज्ञा से किसी अन्य रुप में।

18. **हिस्से:-** समिति की हिस्सा पूंजी ..... हिस्से से बनेगी। हिस्से का मूल्य 10 (दस) रुपये होगा को हिस्से की कीमत प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा निचित रुप से एक मुश्त या किस्तों मे देनी पड़ेगी। प्रबन्धकारिणी कमिटी किस्तों की अदा करने

के लिए समय की बढ़ती कर सकती है। कोई भी सदस्य बेचे जानेवाले हिस्सें के 1/5 से अधिक हिस्सों को नहीं खरीद सकता है।

19. जिन सदस्यों के जिम्में हिस्से की किस्तों का रुपया बाकी होगा ये आम या प्रबन्धकरिणी कमिटी की सभा में वोट देने के अधिकारी नहीं होंगे। उन्हें कर्ज नहीं दिया जायेगा। तथा वे खरीद-बिक्री के कार्यों में भाग नहीं ले सकेंगे। दिए गये दो महीने की सूचना के अन्दर यदि किसी सदस्य ने किस्त नहीं चुकायी हो तो उसे समिति से निकाल दिया जायेगा और हिस्से की मद में किये गए दो महीने की सूचना के अन्दर यदि किसी सदस्य ने किस्त नहीं चुकायी हो तो उसे समिति से निकाल दिया जायेगा और हिस्सें की मद में किये गए भुगतान जब्त कर लिए जायेंगे और वह रकम सुरक्षित कोष में (रिजर्व-फंड) में मिला दी जायेगी। वे सदस्य जो विशेष चन्दों के भुगतान में लगातार दो महीने में अधिक देर करेंगे उन्हें समिति से निकाल दिया जायेगा यदि प्रबन्धकारिणी कमिटी समय की बढ़ती न दे।

20. आम सभा के पूर्व स्वीकृति के बिना प्रबन्धकारिणी कमिटी के किसी सदस्य की नियम 18 के अनुसार समय नहीं बढ़ाया जायेगा। निबन्धक, सहयोग समितियाँ की अनुमति के बिना प्रबन्धकारिणी कमिटी का कोई भी सदस्य, जिसके जिम्में समिति का बकाया हो, प्रबन्धकरिणी समिति का सदस्य पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता है।

21. **हिस्से का प्रमाण-पत्र :-** प्रत्येक को समिति की मुहर लगा हुआ एक प्रमाण - पत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा जिसमें उनके खरीदे हुए हिस्से का विशेष रुप से वर्णन रहेगा। यदि प्रमाण-पत्र खो जाय या फट जाय तो निर्धारित शुल्क देने पर फिर से प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

22. **हिस्सों का हस्तांतरण या वापसी-**

(क) कोई भी सदस्य तबतक अपना हिस्सा हस्तान्तरित नहीं कर सकता है जबतक कि-

(1) कम-से-कम ऐसे हिस्से का एक वर्ष तक मालिक न रहा हो, तथा

(2) हस्तांतरण का प्रस्ताव प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा स्वीकृत न हो।

(ख) निमय 13 के अन्तर्गत सदस्यता की समाप्ति होने पर सदस्य का हिस्सा या हिस्से का निस्तार झारखंड को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (1935 के 6) की 24वीं धारा तथा उनके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार किया जायेगा।

23. **उत्तरदायित्व-**

(क) समिति के कर्जों के लिए सदस्य की जिम्मेदारी उनके अपने हिस्से के नाम नेहादी मूल्य के पाँच गुने तक सीमित रहेगी।

(ख) भूतपूर्व या मरे हुए सदस्य या उनकी सम्पति की जिम्मेदारी समिति के उन कर्जों के लिए, जो सदस्यता से हटने की तिथि या मरने की तिथि के पहले था, इस प्रकार की तिथि से लेकर झारखंड को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (सन् 1935 का ऐक्ट 6) की धारा 32 के अनुसार दो वर्ष तक रहेगी।

(ग) उत्तरदायित्व की उपरोक्त सीमा समिति के टूटने की अवस्था में ही उपयोग में लायी जायेगी।

24. (1) **आम-सभाः-** समिति का सर्वोच्च अधिकार सदस्यों की आम-सभा में निहित होगा। आम-सभा तीन प्रकार की होगी-

(क) साधारण,

(ख) असाधारण,

(ग) विशेष-

साधारण सभाः- सहकारी साल के समाप्त होने के चार महीने के भीतर प्रत्येक वर्ष साधारण आम-सभा की बैठक होगी ऐसी हालत में जबकि आम-सभा के बुलाई जाने की निश्चित तिथि के पहले तक स्टैट्यूटरी औडिट रिपोर्ट बैलेन्स सीट के साथ औडिटर के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया हो तो मुनाफे की बात को छोड़कर साधारण आम-सभा के सभी कार्य, जैसा कि नियम 25 में दिया गया है, सभा में कर लिए जायेंगे। तब मुनाफे का और औडिट रिपोर्ट के उपर विचार असाधारण आम-सभा में जो इसलिए बुलायी जाय या आगामी वार्षिक आम-सभा में हागा।

असाधारण आम-सभाः- असाधारण आम-सभा प्रबन्धकारिणी कमिटी के द्वारा किसी भी समय बुलायी जा सकती है या कुल सदस्यों के पाँचवे हिस्से के द्वारा आग्रह-पत्र पर हस्ताक्षर करने से हस्ताक्षर करने की तारीख से 1 महीने के भीतर बुलायी जा सकती है।

विशेष सभाः- विशेष आम-सभा निबन्धक या उससे अधिकार प्राप्त अफसरो के द्वारा लिखित आग्रह-पत्र देने पर समिति के प्राधान कार्यालय में आग्रह-पत्र पर लिखित स्थान और समय में बुलाई जा सकती है।

(2) **कोरमः-** कुल सदस्यों की एक-तिहाई संख्या आम-सभाओं के लिए कोरम की संख्या होगी। यदि सभा असाधारण आम-सभा रहे और कोरम की संख्या पूरी न हो सकें तो सभापति उस विघटित कर देंगे। यदि वह एक साधारण आम-सभा या विशेष आम-सभा है तो वह उसे कम-से-कम 7 दिन और अधिक-से-अधिक 21 दिनों तक स्थगित कर देंगे। इस प्रकार की स्थगित

सभाओं के सभी कार्यक्रम वे ही रहेंगे जो पहले से होंगे। कार्यक्रम में कुछ हेरफेर नहीं किया जायेगा। और इस प्रकार की स्थगित सभा में भी कोरम की संख्या पूरी न हो तो कोई भी प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों की तीन-चौथाई संख्या से पास होगा।

(3) **मताधिकारः-** समिति के प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट का मताधिकार होगा। दूसरे के लिए वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। दोनों पक्षों में बराबर वोट हो जाने की अवस्था में सभा-पति को एक निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। सभी प्रश्नों के निर्णय के लिए बहुमत मान्य होगा।

(4) **आम-सभा के लिए सूचनाः-** किसी भी आम-सभा के लिए 15 दिनों की सूचना दी जायेगी। सूचना-पत्र में सभा का समय और स्थान साफ तौर से लिखा रहेगा।

साधारण आम-सभाओं के कार्य- आम-सभा समिति के कारबार के उपर और विशेष रूप से प्रबन्धकारिणी कमिटी के कार्यों के उपर निगरानी रखेगी और समिति के हक में फायदमन्द होनेवाले सभी कामों के करने मे योग्य होगी। आम-सभा के निम्न कार्य होंगेः-

(1) सभा के लिए सभापति चुनना;

(2) नियम 27 के अनुसार सभापति, मंत्री और कोषाध्यक्ष को लेकर प्रबन्धकारिणी कमिटी के सदस्यों को चुनना जो आगामी वार्षिक आम-सभा तक के लिए पद पर रहेंगे;

(3) वार्षिक औडिट रिपोर्ट, बैलेन्स सीट और प्रबन्धकारिणी कमिटी का रिपोर्ट पर विचार करना,,

(4) ऐक्ट, नियमों और इन उप-नियमें के अनुसार नफा के बँटवारे पर विचार करना;

(5) समिति की तरफ से प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा अधिक-से-अधिक उत्तरदायित्व प्राप्त करने की सीमा निश्चित करना;

(6) प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा तैयार किये गये वार्षिक आय-व्यय के चिठ्टे को मंजूर करना;

(7) सदस्यों को ऐडवान्स के रूप में दिये जाने वाले कर्ज पर सूद की दर का निश्चय करना;

(8) जमा पर सूद की दर ठीक करना;

(9) बकायों पर दंड सूद की दर का निश्चय करना;

(10) नियमावली के नियम 59 के अन्तर्गत नियमों का संशोधन करना;

(11) भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए उप-सभा बनाना; तथा

(12) सभा के सभापति से आज्ञा लेकर अन्य कार्यों को करना।

26. आम-सभा की कार्यवाहियाँ :- समिति के पास एक कार्यवाही-पुस्तिका रहेंगी जिसमें सभी आम-सभाओं की कार्यवाहियों को लिखा जायेगा। कार्यवाही पुस्तिका में उपस्थित सदस्यों तथा दूसरे उपस्थित व्यक्तियों के नाम रहेंगे और उसपर सभा के चेयरमेन का हस्ताक्षर रहेगा।

27. प्रबन्धकारिणी कमिटी-

(1) प्रबन्धकारिणी कमिटी समिति की सुन्दर व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) आम-सभा में चुने गये सभापति, मंत्री और कोषाध्यक्ष को मिलाकर प्रबंधकारिणी कमिटी में 11 सदस्य होंगे।

(3) प्रबन्धकारिणी कमिटी में कारणवश खाली होनेवाली जगहों को प्रबन्धकारिणी कमिटी अगले आम चुनाव तक के लिए भर सकती है।

28. (क) निबन्धक की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रबन्धकारिणी कमिटी का कोई भी सदस्य जिसने 10 वर्ष तक कमिटी की सेवा की है, फिर चुनाव में खड़ा हाने का अधिकारी नहीं हो सकता है।

(ख) यदि प्रबन्धकारिणी कमिटी का सदस्य समिति की सदस्यता से हट जाय अथवा लगातार तीन सभाओं में उपस्थित न हो तो कमिटी आगामी आम-चुनाव तक के लिए सदस्यों के बीच से वैसे सदस्य के बदले किसी व्यक्ति को नियुक्त कर लेगी।

(ग) उप-नियम 20 के अनुसार ऐसा सदस्य जिसके यहाँ समिति का बकाया हो, प्रबन्धकारिणी कमिटी का सदस्य निर्वाचित नहीं होगा। यदि यह चुनाव के बाद ऋणी हो तो उसे कमिटी से हटा दिया जायेगा और आगामी चुनाव तक के लिए समिति का दूसरा सदस्य उसके बदले चुन लिया जायेगा।

29. प्रबन्धकारिणी कमिटी की सभा जब कभी भी आवश्यकता होगी, हो सकती है परन्तु महीने में कम-से-कम एक बार अवश्य ही होगी। 6 सदस्यों का कोरम होगा।

30. सभापति या उनकी अनुपस्थिति में उपस्थिति सदस्यों के द्वारा चुने गये कोई अन्य सदस्य प्रबन्धकारिणी कमिटी की सभापति का काम करेंगे।

31. प्रबन्धकारिणी कमिटी में सभी बातें बहुमत से निश्चित की जायेगी। सभापति के पद पर रहनेवाले व्यक्ति को दोनों पक्षों में बराबर वोट होने की अवस्था में एक निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। कोई भी उस काम के लिए वोट नहीं दे सकता है जिस काम से उसका अपना सम्बन्ध हो।,

32. **कमिटी के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-** प्रबन्धकारिणी कमिटी के नीचे लिखे कार्य होंगे:-

(1) सदस्यता और हिस्से की मंजूरी के लिए दी गई दरखास्तों पर विचार करना;

(2) बुरे और ऋणी सदस्यों को हटाये जाने के प्रश्न पर विचार करना;

(3) सदस्यों के इस्तीफे पर विचार करना;

(4) कानून, नियमों और इन उप-नियमों के अनुसार विगत सदस्यों की हिस्सा-पूँजी को फिर से वापस करने पर विचार करना;

(5) प्रत्येक सदस्य के हैसियत का विवरण तैयार करवाना और समय-समय पर उसे सत्यापित करना;

(6) सदस्यों को दिये जानेवाले ऋण की सीमा निश्चित करना;

(7) सब्जी एवं फल की फसलों के खेतों को क्षेत्रफल निर्धारित करना, समिति द्वारा जिनके बेचे जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, और फसलों के आधार सदस्यों से ऋण लेने की सीमा का निश्चय करना;

(8) सदस्यों को सब्जी एवं फल की फसलों की खोज-खबर लेना और उपज का अनुमान लगाना जिसे वे समिति के द्वारा बेचेंगे।

(9) समिति के द्वारा बेचे जानेवाले सदस्यों की सब्जी एवं फल की पैदावार का वर्गीकरण, खरीद, बोराबन्दी और यातायात का प्रबन्ध करना;

(10) इन नियमों के अनुसार सदस्यों की पैदावार पर ऐडवान्स देना;

(11) औजारों और मशीन को खरीदने या भाड़े पर लेने का प्रबन्ध करना और खाद, बीज और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई करना;

(12) सब्जी एवं फल की पैदावार को ठीक से इकट्ठा करने का प्रबन्ध करना और चतुर व्यापारिक सूचना-संघ स्थापित करना;

(13) सदस्यों की पैदावार को बेचने के लिए उनसे ली जानेवाली कमीशन की दर और अन्य चीजों को आम-सभा की राय से निश्चित करना;

(14) समिति की तरफ से प्राप्त या चुकाये सभी रुपयों, स्टोरों, स्टॉक और जायदादों की प्राप्ति तथा उनकी खपत का प्रबन्ध;

(15) सदस्यों से ऋण के लिए दरखास्त लेना और सदस्यों की उचित आवश्यकता जिनके लिए ऋण लिया जा रहा है, देखत हुए उसे मंजूर करना;

(16) सदस्यों द्वारा लिए गये ऋण को चुकाने क लिए किस्त निश्चित करना;

(17) समिति के कारबार के सम्बन्ध में समिति या समिति के अफसरों के द्वारा या विरोध में लगाये सभी दावों या वैध कार्यवाहियों के कानूनी रुप देना, आगे बढ़ाना, सुलह करना या त्याग देना;

(18) निबन्धक, सहयोग समितियाँ द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वैतनिक कर्मचारियों को नियुक्त करना, सस्पेन्ड करना, दंड देना या बरखास्त करना;

(19) को-ऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट में अफसरों, अर्थ प्रबन्धक बैंक और संघ के इनस्पेक्शन और ऑडिट नोट्स पर विचार करना;

(20) कोषाध्यक्ष के द्वारा रखे जानेवाले कैश बैलेन्स की सीमा का निश्चय करना;

(21) प्रबन्धकारिणी कमिटी की सभी सभाओं में कोषाध्यक्ष के पास रहने वाले कैश बैंलेंश को मिलाना;

(22) निबन्धक, सहयोग समितियों द्वारा प्रसारित आदेशों के अनुसार कारबार सम्बन्धी नियमों को बनाना। अर कमिटी निबन्धक, सहयोग समितियाँ द्वारा प्रसारित अवधि के भीतर कारबार सम्बन्धी नियम बनाने से चूक जाती है तो रजिस्ट्रार स्वयं नियम बनाकर देंगे जो समिति को मानना होगा; तथा

(23) साधारणतः समिति के कारबार को करना।

33. समिति के कारबार में प्रबन्धकारिणी कमिटी साधारण व्यापारी की तरह दूरदर्शिता और तत्परता से काम लेंगी। को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, उसके अन्तर्गत बने नियम और इन उप-नियमो के विपरीत किये गये किसी भी कार्य के लिए जिससे नुकसान हो, कमिटी उत्तरदायी होगी।

34. प्रबन्धकारिणी कमिटी की सभाओं की कार्यवाहक पुस्तिका-सभा में किए गए समस्त कार्य मंत्री के पास रहनेवाली कार्यवाहक पुस्तिका में लिखे जायेंगे और उसपर सभापति से लेकर सभा में उपस्थित कमिटी के सभी सदस्यें के द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। रुपये से सम्बन्ध रखनेवाले सभी कार्यों के प्रस्ताव पर पक्ष या विपक्ष में पड़नेवाले प्रत्येक सदस्य का मत लिख जायेगा।

35. मंत्री का कर्तव्यः- मंत्री का कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे-

(1) आम-सभाओं और प्रबन्धकारिणी सभाओं के लिए बुलावा भेजना;

(2) कार्यवाहक पुस्तिका में इन सभाओं की कार्यवाही लिखना;

(3) सदस्यों के उपर रहनेवाले बकायों का स्टेटमेन्ट प्रबन्धकारिणी कमिटी के सामने रखना और उसे वसूल करने के लिए कदम बढ़ाना;

(4) हिसाब-किताब की सभी बहियों को, जिनकी आवश्यकता उप-नियम तथा रजिस्ट्रार के सर्कुलर के अनुसार है, ठीक और समय के अनुसार रखना और समिति के कारबार के लिए आवश्यक सभी रसीदों, वाउचरों और दूसरे कागजात को तैयार करना;

(5) कैशबुक पर हस्ताक्षर करना और यह देखना कि कैश-बैलेंस प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा निश्चित की गई सीमा से अधिक हो जाने पर पोस्ट ऑफिस या अर्थ प्रबन्धक बैंक में जमा की गई;

(6) 30 जून को रहनेवाली, समिति की सम्पत्ति और देन का एक स्टटमेंन्ट तैयार करना और रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा प्रसारित कोई अन्य स्टेटमेन्ट या रिपोर्ट बनाना; तथा

(7) रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज की स्वीकृति से प्रबंधकारिणी कमिटी या अर्थ-प्रबंधक बैंक के द्वारा निर्धारित इसी प्रकार को अन्य कार्यो का पूरा करना।

36. **मंत्री और अन्य पदाधिकारियों को भत्ता और पारिश्रमिकः-** आम-सभा निबंधक, सहयोग समितियाँ की स्वीकृति से अवैतनिक मंत्री की समिति के कार्य करने के लिए भत्ता दे सकती है। आम-सभा सभापति, मंत्री या कोषाध्यक्ष की समिति का कार्य करने के लिए पारिश्रमिक भी दे सकती है बशर्ते कि किसी भी कार्य की स्वीकृत पारिश्रमिक रकम समिति के शुद्ध लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़े।

37. **कोषाध्यक्ष का कर्त्तव्यः-** खजांची समिति द्वारा मिलने वाले सभी रुपयों का जो उसे केन्द्रीय बैंक, सदस्यों और दूसरों के द्वारा प्राप्त होगा, चार्ज रखेंगे और प्रबंधकारिणी कमिटी द्वारा निश्चित आदेशों के अनुसार उसे खर्च करेंगे। वे कैशबुक पर इसके ठीक होने के सबूत में हस्ताक्षर करेंगे और प्रबंधकारिणी कमिटी की हर बैठक में कैश-बैलेंस को मिलाने के लिए पेश करेंगे और जब किसी भी अर्थ-प्रबंधक बैंक के निरीक्षक अफसर या विभगीय अफसर के द्वारा ऐसा करने के लिए बुलाये जायेंगे तो ऐसा करेंगे।

38. **ऋणः-** साधारणतः कर्ज सदस्यों को केवल सब्जी एवं फल पैदावार के कामों में लगाने के लिए ही दिया जायेगा। अगर कर्ज वर्णित काम में नहीं लगाया जाता है तो प्रबंधकारिणी कमिटी सम्पूर्ण कर्ज को वापस ले सकती है। कर्जा केवल संयुक्त परिवार के कर्त्ता को ही दिया जायेगा।

39. कर्ज देने के समय रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटी, झारखंड द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों का पालन किया जायेगा।

40. दरखास्त में जिस प्रयोजन के लिए कर्ज लिया जा रहा है वह ठीक-ठीक और स्पष्ट रुप से लिखा रहेगा।

41. कर्ज वसूली की किस्त, कर्ज मंजूर के समय ही, जिस काम के लिए कर्ज दिया जाता है उस पर विचार करतें हुए, निश्चित कर दी जायेगी।

42. रजिस्ट्रार के समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार आम-सभा के द्वारा सदस्यों द्वारा के लिए गये कर्ज पर सूद की दर-निश्चित की जायेगी। सूद का हिसाब प्रतिवर्ष एक बार किया जायेगा।

43. प्रबन्धकारिणी कमिटी विशेष अवस्थाओं में आम तौर पर जमानतदारों के विचार से किस्त देने की अवधि को बढ़ा सकती है।

44. आम-सभा उन सभी किस्तों पर जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, दण्ड-ब्याज की दर लगाने की अनुमति दे सकती है, बर्शतें कि कुल सूद की दर जिसमें दण्ड-ब्याज की दर भी मिली हुई हो, वार्षिक $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

45. अगर कोई सदस्य समिति से अलग कर दिया जाय या निकाल दिया जाय तो उसे कर्ज की शर्त्त पर ध्यान दिये बिना ही समिति का कुल बकाया चुका देना होगा।

46. **बिक्रीः-** प्रबन्धकारिणी कमिटी सदस्यों की सब्जी एवं फल की पैदावार को नीचे लिखे तरीकों से बेचने का प्रबन्ध कर सकतीः-

(क) **आउटराईट परचेज सिस्टम-** इस तरीके के अन्दर समिति सदस्यों की सब्जी एवं फल की पैदावार को गांवों में खरीद सकती है। इसका सफाई, वर्गीकरण और यातायात का प्रबन्ध कर सकती है और इसे अपनी जिम्मेदारी पर बेच सकती है। व्यक्तिगत सदस्य इस प्रकार के कारबार में जो नफा या नुकसान होगा उसके भागी नहीं होंगे।

(ख) **कमीशन सेल-सिस्टम-** इस तरीके के अन्दर सदस्यगण अपनी सब्जी एवं फल की पैदावार को या तो अपने या समिति के गोदामों में जमा कर सकते हैं। समिति अपने पास माल का नमूना रखेगी और सदस्यों के आदेशानुसार उसे बेच देगी। माल का भाव घटने-बढ़ने से समिति को कोई ताल्लुक नहीं रहेगी। और समिति सदस्यों से कमीशन और अन्य खर्च वसूल करेगी।

(ग) **प्लैनिंग सिस्टम-** इस तरीके के अन्तर्गत सदस्यगण अपनी सब्जी एवं फल की उपज समिति के गोदामों में रखेंगे और उसकी जमानत पर उन्हें कीमत के 75 फीसदी या किसी कम सीमा तक जैसा रजिस्ट्रार निर्धारित करेंगे,

कर्जा मिल सकेगा। जो कर्जे पैदावार की जमानत पर दिये जायेंगे, उनकी अदायगी सदस्यों को साधारणतः कर्जा देने की तारीख से 6 महीने क अन्दर करनी होगी किन्तु विशेष हालातों में समिति अदायगी के लिए इससे अधिक समय दे सकती है। अगर इस पैदावार की कीमत जिसे सदस्य ने रेहन रखी है, 10 प्रतिशत या इससे अधिक गिर जाय़ तो समिति को कुल कर्ज वापस करने या अधिक जमानत देने के लिए बाध्य कर सकती है। अगर सदस्य इन दोनों में से कोई भी बात न करे तो समिति को अधिकार होगा कि सदस्य को सूचना देकर रेहन रखी गई पैदावार बेच दे। ऐसी अवस्था में जो कीमत वसूल होगी उसमें से समिति कमीशन, गोदाम भाड़ा और कर्जे का रुपया सूद के साथ काट लेगी और जो रकम बचेगी वह सदस्य को लौटा दी जायेगी।

47. समिति के द्वारा किसी फसल के बेचे जाने की अवस्था में समिति प्रत्येक सदस्य के द्वारा बोयी गई सब्जी एवं फसल के खेत के क्षेत्रफल की अनुमानित उपज और समिति द्वारा बेचे जाने वाले माल की तायदाद के साथ स्टेंटमेंट तैयार करेगी।

48. किसी सदस्य की सब्जी एवं फल की पैदावार बेचने से जो कीमत वसूल होगी उसमें से समिति उन रकमों को काट लेगी जो उसे मिलनी उचित है।

49. **खरीद और बिक्री-** सभी बिक्री केवल नगद होगी और गैर-सदस्य के हाथ भी हो सकती है।

50. वस्तुओं के गुण या कीमत के लिए या समिति के पदाधिकारीयों के आचरण के विरूद्ध की गई सभी शिकायतें प्रबन्धकारिणी कमिटी के सदस्यों के सामने पेश की जायेगी।

51. **निश्चित जमा और कर्जाः-** समिति, रजिस्ट्रार के द्वारा समय-समय पर बनाये गए नियमों के अनुसार साधारण आम-सभा द्वारा निश्चित की गई सूद दर पर निश्चित और सर्विंग्स बैंक डिपोजिट्स ले सकती है।

52. **खाता-बही और लेखा-बहीः-** समिति के द्वारा निम्नलिखित खाता-बही और लेखा-बही रखी जायेगी-

(क) हिस्सा खरीदने वाले सदस्यों की खाता-बही;

(ख) कार्यवाही पुस्तिका;

(ग) कैश-बुक;

(घ) कर्जा-बही;

(ड़) जमा-बही;

(च) सदस्यों की हैसियत-बही;

(छ) रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर विहित की गई अन्य बही;

53. समिति की बहियाँ केवल जमा-बही को छोड़ कर सर्वदा सदस्यों के देखने के लिए उपलब्ध हो सकेगीं बशर्ते कि सदस्य केवल अपने नाम को ही देखें।

54. उन सभी कागजात पर जिनमें समिति पर लगाये गये चार्जों और प्रतिबन्धों का वर्णन रहेगा, सभापति और मंत्री या प्रबन्धकारिणी कमिटी के तीन सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। सभापति और मंत्री या प्रबन्धकारिणी कमिटी के तीन सदस्य चेकों और "पे औडरों" पर हस्ताक्षर करने के लिए योग्य होंगे।

55. समिति क पास एक आम मुहर होगी जो मंत्री की देख-रेख में रहेगी।

56. प्रतिवर्ष 31 मार्च को समिति का आर्थिक वर्ष खत्म होगा और शुद्ध लाभ जो औडिट के द्वारा प्रमाणित होगा, 35 प्रतिशत रिजर्व फंड तथा 10 प्रतिशत अशोध ऋण में देने के उपरांत जो बचेगा वह निम्नलिखित प्रकार से बांटा जायेगाः-

(क) अधिक-से-अधिक 10 प्रतिशत साधारण भलाई के कोष में,

(ख) लाभांश जो $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक न होगा, हिस्सों के चुकाये मूल्य पर दिया जायेगा;

(ग) सदस्यों द्वारा समिति से लिए गये कर्ज पर सूद में समिति द्वारा खरीदे गये माल की कीमत में तथा समिति से या समिति द्वारा बेचे गए माल की कीमत पर दिये जानेवाले प्रीमियम में छूट की एक दर आम-सभा द्वारा निर्धारित की जायेगी। छूट अथवा प्रीमियम जो घोषित किये जायेंगे तब तक सदस्य को नहीं मिल सकेंगे जबतक कि उसके जिम्में पहले का कुछ पावना बाकी हो। यह रकम बकाया में से काट दी जायेगी।

(घ) कार्यकर्त्ताओं की बोनस जो एक महीने के वेतन से अधिक नहीं होगा;

(ड़) रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति से आम-सभा के द्वारा मंत्री या कोई अन्य पदाधिकारी को मंजूर किया गया पारिश्रमिक देना;

(च) अगर शेष बचेगा तो वह अगले वर्ष के लिए रख दिया जायेगा।

हिस्सों पर लाभांश, रिबेट या प्रीमियम यदि एक वर्ष के भीतर समिति से नहीं ले लिए जाते है तो वे सदस्यों के खाते में जमा कर दियो जायेंगे।

57. **रिजर्व फंड-** (1) इन सबों को मिलाकर बनेगा-

(क) ऐक्ट के अधीन प्रति वर्ष शुद्ध लाभ का 35 प्रतिशत रिजर्व फंड में जायेगा;

(ख) लाभ से या किसी अन्य प्रकार से इस फंड में जानेवाली रकम से;

(ग) समिति के रजिस्ट्री की तारीख से 3 वर्ष के भीतर तक प्रारम्भिक खर्चों को काटकर सभी प्रवेश-शुल्क से;

(घ) समिति के द्वारा जब्त किये गये हिस्सों के मूल्य से;

(2) रिजर्व फंड समिति का होगा और सदस्यों में बाँटा नहीं जायेगा।

(3) रिजर्व फंड निम्नलिखित किसी भी कार्य के हेतु उपलब्ध हो सकेगा।

(क) किसी भी परोक्ष घटना के कारण जो कमी होगी उसे पूरा करने में और इससें जो कमी होगी वह यथाशीघ्र समय पर कर दी जायेगी।

(ख) समिति के किसी ऐसे कार्य के हेतु जिसकी पूर्ति अन्य किसी तरह से नहीं हो सकती, इससे जो कमी होगी वह उतनी जल्दी पूरी कर दी जायेगी।

(ग) समिति के किसी कर्जे के हेतु जमानत के काम में।

(4) समिति के विघटित हो जाने की अवस्था में रिजर्व फंड उन कामों में लगाया जायेगा जैसा इसी उद्देश्य से बुलाई गई विशेष सभा की बहुमत से निर्धारित होकर रजिस्ट्रार के द्वारा स्वीकृत होगा।

58. रिजर्व फंड झारखंड को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (सन् 1935 ई० का ऐक्ट 6) के अनुसार या तो किसी काम में लगाया जायेगा या जमा किया जायेगा।

बशर्ते कि रजिस्ट्रार एक विशेष आज्ञा से समिति के कार्यों में लगाने के हेतु समिति के रिजर्व फंड के एक विशेष हिस्सों को लगाने की आज्ञा दे।

59. **उप-नियमों का परिवर्तनः-** कोई भी उप-नियम तबतक बदले या काटे नहीं जा सकते है जबतक कि-

(क) सदस्यों को इस प्रस्ताव की सूचना आम-सभा की बैठक के 15 दिन पहले तक नहीं दे जाती है;

(ख) प्रस्ताव अबतक आम-सभा के दो-तिहाई सदस्यों के वोट से पास नहीं हो जाता है; और

(ग) रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिज से यह संशोधन, परिवर्तन या पूर्ण रूप से हटा देने की मंजूरी नहीं कर दिया जाता है।

60. **पंचायत :-** कोई भी झगड़ा जिसका निपटारा प्रबन्धकारिणी कमिटी या आम-सभा के द्वारा नहीं हो सकता है, रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाइटिज के पास पेश किया जाएगा।

61. **विघटन :-** असाधारण आम-सभा जो इसी उद्देश्य से बुलायी जायेगी, के तीन-चौथाई सदस्यों के द्वारा पास किए गए तथा रजिस्ट्रार के द्वारा स्वीकृति पाए प्रस्ताव से समिति विघटित की जा सकती है।

62. अगर ऐक्ट की बनावट या उप-नियमों के विषय में किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो तो प्रबन्ध समिति इस बात को रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित करेगी जिसका फैसला अन्तिम् होगा।

63. उन सभी बातों का निबटारा जो विशेष रुप से नहीं किया गया है, झारखंड को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (सन् 1935 ई० का ऐक्ट 6) और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार होगा।

क्रम संख्या आवेदन कर्त्ताओं के हस्ताक्षर